राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन लि0,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302 005

क्रमांकःएसीई / प्लांटेशन / 2010 / 878
दिनांकः 29 जून, 2010

परिपत्र

दिनांक 17–18 जून, 2010 को आयोजित समीक्षा बैठक में इस बात पर बल दिया गया था कि रीको के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षों की कमी को देखते हुए आगामी वर्षा–ऋतु में अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए। महत्त्वपूर्ण यह है कि वृक्षारोपण के साथ ही उन्हें बड़ा किया जाए अन्यथा वृक्षारोपण के कुछ समय पश्चात् ही ये नष्ट हो जाते हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से यह उपयुक्त है कि अधिकाधिक वृक्षारोपण आवंटियों द्वारा अपने–अपने औद्योगिक भूखण्ड पर रिक्त भूमि पर किया जाए। इस हेतु उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया जाए।

औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों एवं पार्कों में वृक्षारोपण संबंधित औद्योगिक संघों के सहयोग से किया जाए। इस हेतु उचित यह होगा कि औद्योगिक संघों के साथ एक समझौता किया जाए जिसके अंतर्गत उन्हें लगाए गए पेड़ों में से जीवित रहने के आधार पर भुगतान किया जाए। यह भुगतान तीन किश्तों में अर्थात् 1 वर्ष, 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के पश्चात् किया जा सकता है। इससे जहां एक ओर औद्योगिक संघ पेड़ों के रखरखाव एवं उन्हें बड़ा करने में सक्रिय जिम्मेदारी निभाएंगे वहीं लगाए गए पेड़ों को बड़ा होना भी सुनिश्चित हो पाएगा। बिना देखभाल की समुचित व्यवस्था के यह देखा गया है कि पेड़ अधिकांशतः बड़े नहीं हो पाते एवं वृक्षारोपण पर किया गया व्यय व्यर्थ हो जाता है। अतः आप अपने–अपने क्षेत्रों में तत्परता से कार्यवाही करें एवं अधिकाधिक पेड़ औद्योगिक संघों के माध्यम से लगाएं। इनका भुगतान जीवित रहने के आधार पर उपरोक्त पद्धति के आधार पर किया जा सकता है।

29/6

(राजेन्द्र भाणावत)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः

1. समस्त इकाई प्रमुख – इसकी प्रति संबंधित औद्योगिक संघों को भिजवाएं।
2. वित्तीय सलाहकार
3. सलाहकार (इन्फ्रा)
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता

29/6

प्रबन्ध निदेशक